# आयुक्त कार्यालय, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

पत्रांक 09 ज.सू./

प्रेषक,

जनसूचना पदाधिकारी–सह–
अवर सचिव,
आयुक्त कार्यालय,
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

प्रेषित,

श्री राजीव कुमार,
शहीद भगत सिंह नगर,
राँची रोड, रेड़मा, डालटनगंज।

मेदिनीनगर, दिनांक 10.02.16 /

**विषय :–** **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**

**प्रसंग :–** **आपका आवेदन पत्र दिनांक 14.01.2016।**

ज्ञाप,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपके प्रासंगिक आवेदन पत्र के द्वारा मांगी गई सूचना के संदर्भ में वांछित पत्र की छायाप्रति कुल 14 पृष्ठों में संलग्न है।

**अनु0 :–** यथोक्त।

Mhansari
10.2.2016

**जनसूचना पदाधिकारी–सह–**
**अवर सचिव**
**आयुक्त कार्यालय,**
**पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।**

Scanned by CamScanner

आयुक्त का कार्यालय, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

पत्रांक 10 /गो०

प्रेषक,

एम० के० मिश्र, भा०प्र०से०
आयुक्त,
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची।

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची।

मेदिनीनगर, दिनांक 29-01-2015

विषय :– उषा मार्टिन प्रा० लि०, कठौतिया कोल ब्लॉक परियोजना के लिए जमीन खरीदगी प्रकिया में व्यापक हेराफेरी कर अरबों रूपया का सरकारी राजस्व का नुकसान पहुँचाने के प्रसंग में तत्कालीन उपायुक्त, पलामू श्रीमती पूजा सिंघल, तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी श्री उदय कान्त पाठक, तत्कालीन पलामू जिला अवर निबंधक एवं पंडवा अंचल अधिकारी श्री आलोक कुमार की भूमिका के संबंध में जॉच प्रतिवेदन।

प्रसंग :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची का पत्रांक 3845/अनु० दिनांक 28.04.2014, पत्रांक 10168 दिनांक 16.10.2014 तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक 2182/रा० दिनांक 04.06.2014, पत्रांक 1914/रा० दिनांक 22.05.2014।

महाशय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने विभागीय पत्रों का संदर्भ किया जाय।

(1) इस संबंध में मैंने दिनांक 05.06.2014 एवं दिनांक 09.06.2014 को कठौतिया, कजरी एवं गाड़ी खास गांवों का स्वतः भ्रमण किया और ग्रामीणों से विस्तृत विमर्श किया। साथ ही उषा मार्टिन लिमिटेड, कठौतिया के कोल ब्लॉक परियोजना का भी भ्रमण किया गया।



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अभिप्रमाणित प्रति

Scanned by CamScanner

कठौतिया ग्राम के निवासियों ने दिनांक 05.06.2014 को कई कुँओं को दिखाया जो खनन कार्य के कारण सूख गये हैं। खणन कार्य हेतु गंदे पानी को निकाल कर दुर्गावती नदी में प्रदूषणमुक्त बनाये बिना बहाने के कारण दुर्गावती नदी पूर्णतः प्रदूषित एवं मृत्यप्राय हो गयी है। कई कच्चे घरों को दिखाया गया जो खनन कार्य के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल कम्पनी द्वारा किये जाने के कारण दरक गये हैं, पक्के मकानों में भी ऐसी समस्या दिखाई दी गई।

चूँकि ग्रामीणों को मेरे द्वारा किये गये निरीक्षण की जानकारी नहीं थी, अतः उनको जानकारी देकर दिनांक 09.06.2014 को पुनः कठौतिया, कजरी एवं गाड़ी खास गांवों का भ्रमण किया और ग्रामीणों से विस्तृत विमर्श किया।

(2) दिनांक 30.12.2014 को मैंने पलामू जिलातंर्गत पंडवा प्रखंड–सह–अंचल, कार्यालय का भ्रमण किया तथा उषा मार्टिन प्रा0 लि0, कठौतिया कोल ब्लॉक परियोजना से संबंधित कई राजस्व दस्तावेजों की जांच की एवं वर्त्तमान अंचल अधिकारी, पंडवा से इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया एवं कई दस्तावेजों की छायाप्रतियां प्राप्त की गई। उसी दिन अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्राम--कठौतिया में उषा मार्टिन लिमिटेड, कठौतिया के द्वारा कठौतिया राजस्व ग्राम के विभिन्न टोलों का भ्रमण सुश्री प्रीति सिन्हा, अंचल अधिकारी, पंडवा, पंडवा पंचायत समिति की प्रमुख श्रीमती शारदा देवी, ग्राम पंचायत गाड़ीखास के मुखिया श्री प्रमोद यादव, मुरमा के मुखिया श्री महेन्द्र प्रसाद एवं अन्य ग्रामीणों के साथ स्थल निरीक्षण एवं भ्रमण किया तथा उषा मार्टिन प्रा0 लि0, कठौतिया कोल ब्लॉक परियोजना द्वारा खनन कार्य किये जाने पर इन टोलों मे मचाई गयी विभीषिका का अवलोकन किया तथा कुल 18 रंगीन तस्वीरें भी खींची गई, जो इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

(3) श्री राजीव कुमार सिंह, वरीय प्रबंधक (कठौतिया कोल माइंस), उषा मार्टिन लिमिटेड से दिनांक 10.07.2014 एवं 20.08.2014 को इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजातों का अध्ययन किया तथा इनसे विस्तृत विमर्श किया गया।

(4) अन्ततोगत्वा दिनांक 27.01.2015 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में उपायुक्त, पलामू सहित पलामू जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया गया।



सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005 के
अन्तर्गत सच्ची प्रतिलिपि

Scanned by CamScanner

ratification declare to be subsidiary thereto or for access to land used or required for any such purpose.

**(b) In any case, the use of the land for the purpose of mining or for any other purposes which the State Government may by notification declare to be subsidiary thereto or for access to land used or required for any such purpose.**

(2) **The transferee in such cases shall not be entitled to use the land so transferred for any other purpose except for which it was transferred.**

(3) **Every such transfer must be made by registered deed, and before the deed is registered and the land transferred, the written consent of the Deputy Commissioner must be obtained to the terms of the deed and to the transfer.**

(4) Before consenting to any such transfer, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that adequate compensation is tendered to the landlord for the loss (if any) caused to him by the transfer, and, where only part of a holding or tenure as transferred, may, if he thinks fit, apportion; between the transferee and the original tenant the rent payable for the holding or tenure.

अधिनियम की धारा 49 से स्पष्ट होता है कि अधिनियम की धाराऐं 46, 47 एव 48 में भू हस्तांतरण के बंदिशो को कुछ विशिष्ट कार्यो के लिए भू हस्तांतरण के प्रावधानों को शिथिल किया गया है। साथ ही इस धारा के प्रावधान सभी दखलकार/अधिभोगी रैयत (Occupancy Raiyat) या कोई भूईहरी परिवार के सदस्य समेत सभी दखलकार/अधिभोगी रैयत (Occupancy Raiyat) पर लागू होते हैं। वर्तमान में रैयतों को जो **कायमी खाता** दिया जाता है वह वास्तव में कायमी रैयत अधिनियम की धारा 17 में परिभाषित कायमी रैयत (Settled Raiyat) होता है एवं अधिनियम की धारा 19 के प्रावधान के अनुसार उसे संबंधित राजस्व ग्राम में उन सभी भू खंडों पर जिसपर उनका रैयत के रूप में दखल हो, दखलकार/अधिभोगी रैयत (Occupancy Raiyat) का हक स्वतः प्राप्त हो जाता है।



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ... प्रति ...

Scanned by CamScanner

**अधिनियम की धारा 49 (b) के अनुसार खनन कार्य तथा उससे संबंधित कार्यों अथवा आवागमन के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए दखलकार/अधिभोगी रैयत से प्राप्त करने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किया जाना कानूनी बाध्यता है।** तत्पश्चात् ऐसे जमीन का कय निबंधित विकय पत्र द्वारा संबंधित जिले के उपायुक्त से लिखित सहमति करने के उपरांत ही विकय पत्र का निबंधन कराने का प्रावधान है। उपायुक्त को अधिनियम की धारा 49 (3) के तहत् संतुष्ट होना होगा कि विकय पत्र में किन शर्तो का उल्लेख किया गया है तथा क्या ऐसी शर्तें एवं हस्तानांतरण राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 49 (b) के तहत् जारी किये गये अधिसूचना के अनुरूप है? अधिनियम की धारा 49 (2) द्वारा यह बाध्यकारी है कि केता उस भूमि का उपयोग उसी कार्य के लिए कर सकेंगे जिसकी अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई है।

वर्तमान अंचलाधिकारी, पंडवा, पलामू के पत्रांक 187 दिनांक 01.08.2014 द्वारा प्राप्त किये गये दाखिल खारीज विवरणी में संबंधित कंपनी द्वारा कय की गई रैयती भूमि के संबंध में किसी भी विकय पत्र में इसका उल्लेख नहीं है कि संबंधित कंपनी किस प्रयोजन हेतु रैयती भूमि का कय कर रही है।

(8) तत्कालीन उपायुक्त, पलामू श्रीमती पूजा सिंघल द्वारा कई मामलों में स्वय अपने स्तर से अधिनियम की धारा 49 में उपायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि के कय विकय पर सहमति दी है एवं अनेकानेक भूखंडो पर उनका सहमति भी प्राप्त नहीं है। इस संबंध में तत्कालीन उपायुक्त, पलामू श्रीमती पूजा सिंघल द्वारा उषा मार्टिन लि0, मेदिनीनगर को संबोधित उनका पत्रांक 614/विधि दिनांक 04.05.2011, पत्रांक 1148/विधि दिनांक 09.09.2011, पत्रांक 1385/विधि दिनांक 14.10.2011, पत्रांक 1648/विधि दिनांक 28.12.2011 एवं पत्रांक 43/विधि दिनांक 10.01.2012 की छायाप्रतियां **(परिशिष्ट – 2)** पर संलग्न की जा रही है। ऐसे सभी आदेश उपायुक्त, पलामू के न्यायालय द्वारा ही विचारोपरांत पारित किया जा सकता था, न की कार्यपालिका की हैसियत से।



सूचना का अधिकार
/अधिनियम 2005 के
अन्तर्गत प्रदत्त प्रति

Scanned by CamScanner

(9) इसी प्रकार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के सुसंगत धाराओं की अनदेखी कर भूमि सुधार उप समाहर्ता, पलामू द्वारा अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत भूमि अंतरण की अनुमति उषा मार्टिन ली0, कार्यालय गायत्री मंदिर रोड, ग्राम–सुदना, डालटनगंज के पक्ष में दी गयी है। ऐसे प्राप्त सभी आदेश दिनांक 22.01.2008 (कुल आदेश 13) भूमि सुधार समाहर्ता, पलामू के कार्यालय द्वारा निर्गत की गई है। **(परिशिष्ट–3)**

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 3 (viii) (b) के तहत् पलामू जिले के उपायुक्त द्वारा किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उपायुक्त की शक्तियो का प्रत्यायोजन तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, पलामू के संबंध में निर्गत कोई आदेश, नही दिखाया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनिय है कि भूमि अंतरण की सहमति देने की प्रकिया भूमि सुधार उप समाहर्ता, पलामू के न्यायालय से निर्गत होनी चाहिए, न की उनके कार्यालय से। अतः प्रथम दृष्टया त्तकालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा जारी किये गये ये सभी आदेश गैर कानूनी हैं तथा उषा मार्टिन ली0, कार्यालय गायत्री मंदिर रोड, ग्राम–सुदना, डाल्टनगंज एवं पलामू जिले में पदस्थापित त्तकालीन उपायुक्त श्रीमती पूजा सिंघल के साठगॉठ से ही ऐसा गैर कानूनी कार्य करना संभव प्रतीत होता है।

(10) भूमिहीन एव अन्य सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तिों को राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर जो जिला/अनुमंडल स्तर के राजस्व पदाधिकारी बंदोबस्ती करते हैं, ऐसे लाल कर्डधारी को भी उन भूखंडों में दखलकार/अधिभोगी रैयत (Occupancy Raiyat) का हक प्राप्त हो जाता है। ऐसे रैयतों के संबंध में भी अधिनियम की धारा 49 (b) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना नही प्राप्त की गई है।

सबसे चौकाने वाली बात यह है कि तत्कालीन उपायुक्त, पलामू श्रीमती पूजा सिंघल ने अपने ज्ञापांक 954/गो0 दिनांक 14.05.2012 **(परिशिष्ट–4)** को आदेश निर्गत कर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 के तहत भूमि हस्तानांतरण/विकि की स्वीकृति प्रदान करने के बाद उसे Mis representation of facts के आधार पर बिहार सरकार के पत्रांक 3090 दिनांक 13.11.1988 का हवाला



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के

Scanned by CamScanner

देते हुए यह लिखित आदेश निर्गत किया गया है कि ऐसे भूमि हस्तानांतरण/बिक्री निर्देशों के प्रतिकूल है तथा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 49 (5) के तहत इन सभी स्वीकृतियों को अपने स्तर से निरस्त कर दिया गया।

(11) विदित हो की छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 49 (5) मात्र उन Occupancy Raiyat पर लागू होते हैं जो जनजातीय समुदाय के सदस्य होते हैं। अंचल अधिकारी पंडवा के उक्त दाखिल खारीज के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होगा की उपायुक्त, पलामू द्वारा सभी जाति/समुदाय के Occupancy Raiyat के संबंध में उषा मार्टिन ली0 कपनी अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में विकय पत्र पर उपायुक्त की हैसियत से अधिनियम की धारा 49 (b) का घोर उल्लघन करते हुए पहले तो कय विकय की सहमति प्रदान की गई। उसके बाद अधिनियम की धारा 49 (5) के तहत् भी अपने द्वारा किये गये गैर कानूनी कार्यकलापों पर पर्दा डालने के लिए पुनः दोबारा गैर कानूनी कार्य करते हुए अपने ज्ञापांक 954/गो0 दिनांक 14.05.2012 द्वारा ऐसे सभी कय विकय की सहमति को निरस्त किया गया।

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 49 (5) को पढ़ने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा जनजातिय समुदाय के Occupancy Raiyat की भूमि पर यदि उपायुक्त द्वारा अवैध रूप से भू–हस्तानांतरण एवं निबंधन का आदेश दिया जाता है तो राज्य सरकार स्वतः संज्ञान लेकर अथवा आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित प्रकिया का अनुसरण करते हुए जांच करेगी एवं प्रभावित पार्टीयों को नोटिस कर सुनवाई करने के उपरांत संबंधित उपायुक्त को निर्देश छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46 (4A) के clause (C) के तहत् अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश देंगे। उपायुक्त द्वारा प्रत्येक सहमति दिये जाने के आदेश पर विचार राज्य सरकार को किया जाने का प्रावधान है, न की किसी सामान्य कार्यपालक आदेश द्वारा राज्य सरकार अपने शक्तियों का प्रयोग छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 (5) के तहत् कर सकती है। प्रस्तुत मामले में तत्कालीन उपायुक्त, पलामू श्रीमती पूजा सिंघल द्वारा किया गया कार्यकलाप न सिर्फ राज्य सरकार के अधिकार का हनन करती है बल्कि गैर कानूनी



सूचना का अधिकार
/अधिनियम 2005 के
अन्तर्गत सच्ची प्रति निर्गत

Scanned by CamScanner

होते हुए अपने द्वारा किये गये गलत कार्यों पर आनन फानन में पर्दा डालने का प्रयास है।

**अतः तत्कालीन उपायुक्त, पलामू श्रीमती पूजा सिंघल द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 (1) (b), 49 (2), 49 (3) एवं 49 (5) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है एवं संबंधित कंपनी से सांठगांठ कर अपने पद का दुरूपयोग किया है।**

(12) इसी प्रकार तत्कालीन अंचलाधिकारी, पंडवा श्री आलोक कुमार द्वारा भी संबधित कंपनी से सांठगांठ कर अपने पद का दुरूपयोग किया गया है एवं नियमों की घोर अवहेलना करते हुए दाखिल खारीज किया गया है। इनमें कई ऐसे भूखंड हैं जो जनजाति समुदाय से आते हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा जमीन की बंदोबस्ती की गई थी।

तत्कालीन अंचलाधिकारी, पंडवा श्री आलोक कुमार द्वारा नामांकरण (दाखिल खरीज) की कार्रवाई BIHAR TENANTS HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS), ACT, 1973 एवं BIHAR TENANTS HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS), RULES, 976 में निहित प्रावधानों एवं प्रकियाओ के तहत् नही किया है एवं गैर कानूनी रूप से आम इसतिहार जारी कर शुद्धि पत्र अपने हस्ताक्षर से निर्गत किया गया है तथा पंजी–2, जो वस्तुतः REGISTER TENANTS LEDGER होनी चाहिए, के स्थान पर किसी वाह्य श्रोत से छपाई गयी प्रपत्र में रैयति खाता दिखा कर REGISTER-II की प्रविष्टी की गई है और ऐसे इन्द्राजों पर अंचल अधिकारी का दस्तखत भी नही है।

राज्य सरकार द्वारा भूमिहिनों के साथ की गई सरकारी जमीन की बंदोबस्ती की बिक्री एवं अन्य प्रकार के हस्तांतरण के रोक के संबंध में श्री श्रीनिवास राव अडिगे, सरकार के सचिव, भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के पत्रांक 1/लेखा नीति 109/74 – 1339 (राजस्व) दिनांक 24/28 मई, 1974 प्रासंगिक है। **(परिशिष्ट–5)**

अंचलाधिकारी, पंडवा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि सभी रैयतों ने सरकारी भूमि (बंदोबस्ती से प्राप्त सरकारी भूमि सहित) ने विक्रय करने का कारण आर्थिक तंगी



सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005 के
अन्तर्गत सच्ची प्रति निर्गत

Scanned by CamScanner

land, transport facilities, irrigation facilities and succeptibility to flood water logging and drought;

(iv) **The use of land domestic, commercial, Industrial, Agricultural purposes and the likely appreciation of value when an agricultural land is being converted to residential commercial industial use.'**

जाहिर है की यह राशि तत्कालीन जिला अवर निबंधक, पलामू द्वारा मुद्रांक शुल्क भूमि के किस्म कृषि के आधार पर लिया गया होगा एवं विकि के पश्चात् उसके उपयोग के संबंध में जानबूझ कर व्यवसायिक दर नही लगा कर बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया।

इससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि कंपनी द्वारा रैयतों से जो सीधे खनन कार्य हेतु बिकी की गयी, वैसे भूखण्डों के रैयतों को उचित मूल्य नही दिया गया एवं राज्य सरकार के राजस्व को भी क्षति पहुचाया गया।

वर्तमान में श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह जिला अवर निबंधक, पलामू (मेदिनीनगर) पदस्थापित हैं। उनके द्वारा दो प्रतिवेदन अपने पत्रांक 664 दिनांक 22.11.2014 एवं पत्रांक 772 दिनांक 27.12.2014 को अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया गया है जो पूर्णतः भ्रामक है।

जिला अवर निबंधक, पलामू द्वारा अपने पत्रांक 61 दिनांक 19.01.2015 द्वारा जिला अवर निबंधक, पलामू के पद पर 15.07.2005 से अबतक पदस्थापित पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध करायी गई है। **(परिशिष्ट–6)**

(13) इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन उपायुक्त, पलामू श्रीमती पूजा सिंघल, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पलामू , अवर निबंधक, पलामू एवं तत्कालीन अंचल अधिकारी, पंडवा श्री आलोक कुमार द्वारा उषा मार्टिन लिमिटेड, कठौतिया कोल ब्लॉक परियोजना के साथ साठगॉठ कर गैर कानूनी कार्य किया गया है जो अपराधिक कृत्य एवं षडयंत्र की श्रेणी में आता है।

(14) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची के राज्यादेश संख्या 2047/रा0 दिनांक 07.07.2012 द्वारा पाटन अंचल के 6 राजस्व ग्रामों में कुल 165.85



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रदत्त प्रति

Scanned by CamScanner

एकड़ गैरमजरूआ मालिक जमीन की तीस वर्षो के लिए नवीकरण के विकल्प के साथ लीज बंदोबस्ती की गयी है। जिला अवर निबंधक, पलामू, मेदिनीनगर के पत्रांक 613 दिनांक 01.08.2013 के द्वारा उप समाहर्ता विधि शाखा पलामू को सूचित किया गया था कि निबंधित लीज ऐग्रीमेंट संख्या 6602 वर्ष 2012 में 32,17,210/– रूपया का कम मुद्रांक शुल्क दिया गया था जिसकी वसूली अनिवार्य है। इस पत्र के साथ संलग्न गणना तालिका से यह स्पष्ट होगा की पूर्व में मात्र 50/– रू0 का मुद्रांक शुल्क संबंधित कंपनी से जमा किया गया था एवं तत्कालीन जिला अवर निबंधक, पलामू, मेदिनीनगर के साठगॉठ से उषा मार्टिन लिमिटेड, कठौतिया कोल ब्लॉक परियोजना द्वारा राज्य सरकार को बतीस लाख सत्रह हजार दो सौ दस रूपये के राजस्व की चोरी कर घाट़ा लगाया गया। दिनांक 17.01.2015 को अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में समीक्ष बैठक में कोषागार पदाधिकारी, पलामू द्वारा बताया गया संबंधित कंपनी द्वारा अभी तक मुद्रांक शुल्क के बकाया राशि को जमा नही किया गया है।

वर्तमान अवर निबंधक, पलामू, मेदिनीनगर श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह ने अपने पत्रांक 13 दिनांक 12.01.2015 द्वारा प्रबंधक (भूमि), मे0 उषा माटिन लि0 (कोल माइनिंग डिविजन), रेड़मा, डालटनगंज को एक पत्र लिखा है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि लीज एग्रीमेंन डीड में कम मुद्रांक शुल्क की राशि 32,17,210/– रू0 के अतिरिक्त कंपनी द्वारा निबंधन शुल्क 24,12,945/– रू0 (चैबिस लाख बारह हजार नौ सौ पैतालिस रू0 मात्र) कंपनी द्वारा जमा किया जाना है। (परिशिष्ट - 6 क)

(15) जहां तक कंपनी द्वारा भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत् खनन कार्य हेतु भू–अर्जन कर जमीन मुहैया करांने के प्रश्न है, इस संबंध में भू–अर्जन पदाधिकारी, पलामू का पत्रांक 11/भू0अ0 दिनांक 20.01.2015 अवलोकनीय है जो उपायुक्त, पलामू द्वारा अपने पत्रांक 99/रा0 दिनांक 27.01.2015 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अग्रसारित है। इस प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड को Deed of Conveyance की स्वीकृति हेतु संबंधित मूल अभिलेख फरवरी, 2014 को ही भेजी गई थी, किंतु राज्य सरकार की स्वीकृति अब



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत

Scanned by CamScanner

तक अप्राप्त है। साथ ही मानानीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में भी भू अधिग्रहण से संबधित कई रिट याचिकायें तथा अपील विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है।

ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट होता है कि झारखण्ड सरकार द्वारा कंपनी को अब तक भू–अर्जन कर खनन कार्य हेतु भूमि उपलब्ध नही कराई गयी है। (परिशिष्ट-7)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा तीन विभिन्न तिथियों को कई संबंधित ग्रामों का भ्रमण किया गया तथा ग्रामीणों के साथ विचार विमर्श कर खनन क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा वैसी जमीन जो भू–अर्जन की प्रकिया के तहत् नही प्राप्त हुई है, उस पर भी कंपनी द्वारा अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा है।

**अनु0 :– यथोक्त**

**विश्वासभाजन**

29/01/2015

(नन्द किशोर मिश्र)
आयुक्त,
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

O/C

ज्ञापांक 10 /गो0 / दिनांक 29-01-2015

प्रतिलिपि :– माननीय राज्यपाल, झारखण्ड को उनके सचिवालय के पत्रांक PG(PR)/60 दिनांक 05.02.2014 के आलोक में सूचनार्थ समर्पित।

29/01/2015

(नन्द किशोर मिश्र)
आयुक्त,
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005 के
अन्तर्गत



Scanned by CamScanner